राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1868–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–2–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, सनावद जिला खरगोन प्रकरण कमांक 3/अ–13/2010–11.

---

1– मोहनलाल पिता सुखलाल पटेल
2– परसराम पिता सुखलाल पटेल
3– हुकुमचन्द पिता सुखलाल पटेल
निवासीगण ग्राम बैड़िया
तहसील सनावद, जिला खरगोन .....आवेदकगण

विरूद्ध

दुलीचन्द पिता नारायण पटेल
निवासी ग्राम बैड़िया
तहसील सनावद, जिला खरगोन .....अनावेदक

---

श्री आर.सी पाटिल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कुलदीप भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

---

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 4 जून, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सनावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 131 के अंतर्गत तहसीलदार, सनावद जिला खरगोन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि ग्राम बैड़िया स्थित सर्वे कमांक 32 रकबा 4.901 हेक्टेयर है । सर्वे कमांक 32 की भूमि के दक्षिण पूर्व में सर्वे कमांक 47/2 की भूमि है तथा सर्वे कमांक 47/2 के पूर्व दक्षिण में आवेदकगण की सर्वे कमांक 75/1 है, उक्त भूमि के पूर्व दक्षिण में बैड़िया सनावद का आमरोड है । आवेदकगण की भूमि से लगी हुई सरकारी नहर है, जो 100 वर्ष पुरानी है, और जिसमें लछोरा तालाब से पानी आता है । उक्त नहर बैड़िया सनावद रोड के नीचे से आती है । अनावेदक के लिए अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता सरकारी नहर से लगा हुआ है, और उक्त रास्ता 80 वर्ष पुराना है । आवेदकगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उन्हैं कोई अधिकार नहीं है, अतः उक्त रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–13/2010–11 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरा आवेदकगण के द्वारा संहिता की धारा 35 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अंतरिम आदेश प्राप्त किया गया है, इसलिए नये रास्ते का सृजन किये जाने के कारण आवेदकगण द्वारा सुखाचार घोषणा में व्यादेश प्राप्ति हेतु व्यवहार न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया है, इसलिए व्यवहार वाद के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–2–2013 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरसत किया गया, और प्रकरण पूर्ववत अनावेदक के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया है कि संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के अंतर्गत रास्ते के प्रश्न पर सुखाचार के अधिकार की स्थापना के लिए पक्षकार के सिविल न्यायालय में जाने पर उपधारा 2 में बाधा नहीं है । संहिता की धारा 131 के अधीन तहसील में प्रकरण लंबित हो तो भी धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन रास्ते का अधिकार अवरोध करने हेतु सिविल न्यायालय में

व्यादेश के लिए सिविल वाद वर्जित नहीं है । आनुकल्पिक मार्ग के विषय में तहसीलदार का आदेश सुखाचार का अधिकार के सिविल वाद द्वारा स्थापित करने से विवर्जित नहीं करता । इन प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर यदि सुखाचार की घोषणा का वाद सिविल न्यायालय में लंबित है तो निश्चित रूप से तहसील न्यायालय को व्यादेश प्राप्त करने हेतु निर्धारित समय प्रदान किए जाने के लिए तहसील न्यायालय के प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का आदेश देना अनिवार्य है, फिर भी प्रश्नगत प्रकरण में ऐसा आदेश न देकर तहसीलदार ने त्रुटि की है, इसलिए आलोच्य आदेश निरस्तनीय है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद का निराकरण व्यवहार न्यायालय से किया जा चुका है, और व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी निरस्त हो चुकी है, इसिलए यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा संहिता धारा 35 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 35 में इस प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र में केवल यह उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा सुखाचार का व्यादेश प्राप्त करने हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिए तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाये । इस संबंध में तहसीलदार का निष्कर्ष पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है कि आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए प्रचलित कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है क्योंकि इस आधार पर प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखने का कोई यथोचित कारण नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इस कारण तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कि व्यवहार न्यायालय से व्यवहार वाद का निराकरण हो गया है, और उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी निरस्त हो चुकी है, अपर जिला न्यायाधीश, बड़वाह

खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–10–2013 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिससे परिलक्षित होता है कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद निरस्त हो चुका है । उक्त आदेश के प्रकाश में भी तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं रह जाता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सनावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर